

1965 में हुए भारत-पाकिस्तान संघर्ष के दौरान पाकिस्तान द्वारा रोकੀ गई नावों तथा जहाज

350. श्री सीताराम केसरी : क्या

वैदेशिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1965 में हुए भारत-पाकिस्तान संघर्ष के दौरान पाकिस्तान द्वारा रोके गये 184 जहाजों तथा नावों के नीलामी के बारे में भारत सरकार द्वारा भेजे गये विरोध पत्र का उत्तर पाकिस्तान ने भेज दिया है ;

(ख) यदि हां, तो उसका व्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो उन 184 जहाजों को नीलाम न होने देने लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

प्रधान मंत्री, अणु शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) से (ग) . जी हां। पाकिस्तान सरकार ने अपने जवाब में और बातों के साथ साथ यह कहा है कि लड़ाई में जो संपत्ति ग्रहण कर ली जाती है वह ग्रहण करने वाली सरकार की हो जाती है और उसका निपटान करने के उसके कानूनी अधिकार को चुनौती नहीं दी जा सकती। भारत सरकार ने इस धारणा का यह कह कर प्रतिरोध किया है कि अंतर्राष्ट्रीय कानून में इस तरह के प्रस्ताव का समर्थन नहीं है और न ही यह राज्यों के व्यवहार के अनुकूल है। हमारी सरकार ने पाकिस्तान सरकार से फिर कहा है कि अगस्त-सितम्बर 1965 की भारत-पाक लड़ाई में जो संपत्ति और सामान ग्रहण कर लिया गया है, उसे ताशकंद घोषणा की व्यवस्था के अनुरूप, लौटाने के प्रश्न पर बातचीत की जाए।

Demand of Plebiscite in Nagaland

351. SHRI SITARAM KESRI:
SHRI VISHWA NATH
PANDEY:
SHRI O. P. TYAGI:
SHRI SREEDHARAN:
SHRI S. M. BANERJEE:

Will the Minister of EXTERNAL AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the underground Nagas have made demands for holding a plebiscite in the State to decide about the future of the area;

(b) if so, Government's reaction thereto; and

(c) whether Government have made any fresh proposals to resume the talks with the underground Nagas, if so, the latest position in this matter?

THE PRIME MINISTER, MINISTER OF ATOMIC ENERGY, MINISTER OF PLANNING AND MINISTER OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRIMATI INDIRA GANDHI): (a) No request for holding a plebiscite in Nagaland has been received from the Under-ground Nagas.

(b) Nagaland is an integral part of the Indian Union; the question of plebiscite for redetermining its status does not arise.

(c) Government of India have not been approached in the matter by the Under-ground Nagas.

Repatriation of stateless persons of Indian Origin from Ceylon

353. SHRI HEM BARUA: Will the Minister of EXTERNAL AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the repatriation of Stateless persons of Indian origin in Ceylon which was to be given effect to by January-February, 1968 has been delayed; and

(b) if so, the reasons therefor as also the time by which this repatriation is proposed to be given effect to?